UPJB010032152025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{JOCODE–UP2012}

फौजदारी अपील संख्या–53/2025

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) , जनपद अमरोहा।

.....**अपीलार्थी।**

।। बनाम।।

1. धूम सिंह पुत्र लल्लू सिंह, निवासी मौहल्ला सूरजनगर, पीतल बस्ती, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद।
2. शील कुमार पुत्र स्व0 नरेन्द्रपाल सिंह, निवासी डीडौरा, थाना तिलहर, जिला शहाजहांपुर (दौरान अपील मृत्यु)।
3. जनम सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह, निवासी नीतिखण्ड प्रथम, मकान नम्बर–65 इन्दिरापुरम, थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद।

.....**प्रत्यर्थीगण।**

वाद संख्या–377/2014
अपराध संख्या–1348/2008
धारा 409, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता
थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा।

अपीलार्थी की ओर से–**श्री महावीर सिंह,** जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी),
प्रत्यर्थी धूम सिंह की ओर से–**श्री कपिल कुमार चिकारा,** एडवोकेट
प्रत्यर्थी जनम सिंह की ओर से–**श्री अशोक कुमार कपूर**, एडवोकेट

निर्णय

यह फौजदारी अपील, अपीलार्थी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा फौजदारी वाद संख्या–377/2014 अपराध संख्या–1348/2008 सरकार बनाम धूम सिंह आदि अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा में पारित निर्णय दिनांकित 25.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– संक्षेप में प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा /प्रतिसार निरीक्षक जनक सिंह के द्वारा दिनांक 18.07.2008 को पुलिस थाना अमरोहा देहात में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि पुलिस अधीक्षक, जनपद जे0पी0 नगर के आदेश पत्रांक एम.टी.–शि.–आई.जी.–64/2008 दिनांक जुलाई 17, 2008 के अनुपालन में दिये गये निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा द्वारा की गयी जांच से हेड कांस्टेबिल (प्रो) एम. टी. धूम सिंह द्वारा अपनी तैनाती के दौरान एम.टी.शाखा में अभिलेखों का अभिलेखीकरण सही प्रकार से न कर वित्तीय मामलों में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड –दो के भाग पांच में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्य न कर अवैध लाभ अर्जित करने के उददेश्य से वाहनों के मरम्मत बिल लगाकर अनियमित कार्य कर एवं गंभीर आपराधिक दुराचरण व्यवहार एच.सी.पी. एम.टी. धूम सिंह द्वारा अधिकृत मोटर गैराज के मालिकों से आपराधिक षडयन्त्र कर आपराधिक कृत्य किया है।

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.04 15:49:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– वादी मुकदमा जनक सिंह, प्रतिसार निरीक्षक की तहरीर के आधार पर दिनांक 18.07.2008 को समय 17:10 बजे थाना अमरोहा देहात पर अभियुक्त हेड कां0 (पी.) धूम सिंह के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–1348/2008 अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत करते हुये चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श–क–3 एच.एम. जितेन्द्र कुमार के द्वारा किता की गयी, जिसका खुलासा उसी दिन थाने की जी.डी.कायमी प्रदर्श–क–4 में किया गया है। मामले में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्त धूम सिंह न्यायालय में उपस्थित आया। उसे नकलें प्रदान की गयी तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.09.2010 के द्वारा अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी.डब्ल्यू.1 के रूप में डी.आर. लोकेश कुमार, पी.डब्ल्यू.2 आर.आई. जनक सिंह, पी.डब्ल्यू.3 कां0 कर्मवीर सिंह, पी.डब्ल्यू.4 रनवीर सिंह, पी.डब्ल्यू.5 उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू.6 सेवानिवृत्त एच.सी.एम.टी. राम औतार सिंह व पी.डब्ल्यू.7 एच.एम. जितेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्त धूम सिंह का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 07.06.2013 को अंकित किया गया।

6– दौरान विचारण अभियोजन की ओर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12क/1, 12क/2 तथा 13क पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2014 के द्वारा अभियुक्त/हेड कांस्टेबिल (पी.) धूम सिंह के साथ दो अन्य अभियुक्तगण जनक सिंह, तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक व शील कुमार, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, पुलिस लाईन को धारा 409, 420,467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए विचारण हेतु तलब किया गया।

7– प्रत्यर्थी/अभियुक्त जनक सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या–24738/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि तक अपीलार्थी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। तत्पश्चात न्यायालय के आदेश 16.03.2022 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्रा0लि0 बनाम सी.बी.आई. में पारित आदेश के अनुपालन में मामले में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये दिनांकित 09.09.2024 को प्रत्यर्थी/अभियुक्त जनम सिंह के विरूद्ध तथा दिनांक 23.09.2024 को प्रत्यर्थी/अभियुक्त शील कुमार (दौरान अपील मृत्यु) के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया।

8– तत्पश्चात अभियुक्तगण शील कुमार व जनक सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने साक्षीगण से कोई जिरह न करना अंकित किया गया, जिसके उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 01.01.2025 के द्वारा अभियोजन का शेष साक्ष्य समाप्त किया गया तथा दिनांक 30.01.2025 को अभियुक्तगण धूम सिंह, शील कुमार व जनक सिंह के अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये।

9– तत्पश्चात दिनांक 25.02.2025 को मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया, जिसके द्वारा अभियुक्तगण धूम सिंह, शील कुमार व जनक सिंह को धारा 409, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से वर्तमान फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी है।

10– दौरान अपील प्रत्यर्थी संख्या–2/अभियुक्त शील कुमार की दिनांक 04.05.2025 को मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध अपील की कार्यवाही न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.03.2026 के द्वारा उपशमित की जा चुकी है।

11– प्रस्तुत अपील में आक्षेपित निर्णय को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय गलत है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.3 कर्मवीर सिंह व पी.डब्ल्यू.4

रनवीर सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा वित्तीय अनियमित्ता बरती गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू.3 कर्मवीर सिंह के साक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया गया है , जबकि उसने कहा है कि वाहन संख्या–यू0 पी0 23 ए–1051 को सनी मोटर्स पर कभी नहीं बनवाया गया। दिनांक 24.03.2007 को सिकन्दर खां मैकेनिक के यहाँ 2,250/–रुपये, सनी मोटर्स पर 2,408/–रुपये तथा दिनांक 25.03.2007 को देहली शाकर्स के यहाँ 1,350/–रुपये का काम उसके सामने नहीं हुआ। पी.डब्ल्यू.4 रनवीर सिंह, वाहन चालक द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि वाहन संख्या–यू0 पी0 21 ए.जी. 0012 की मरम्मत के सम्बन्ध में संलग्न प्रार्थनापत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में नहीं है। उसके द्वारा उक्त वाहन का मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया, न ही लॉग बुक मे एन्ट्री करायी गयी। बचाव पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू.4 के उक्त बयान के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू.6 रामौतार, एच.सी.एम.टी. ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पुलिस थानों पर गाड़ियां खराब होने पर चालक द्वारा वाहन खराब होने का प्रार्थनापत्र दिया जाता है तथा गाड़ी चैक कर प्रतिसार निरीक्षक की संस्तुति पर सी.ओ.लाईन्स की अनुमति पर कार्य कराया जाता है। पी.डब्ल्यू.4 रनवीर सिंह वाहन चालक द्वारा दिनांक 15.03.2007 को वाहन संख्या– यू0 पी0 21 ए.जी. 0012 की मरम्मत एम.टी. शाखा में दर्शायी गयी है तथा उसके नाम से दिया गया प्रार्थनापत्र उसके लेख व हस्ताक्षर में नहीं था। पी .डब्ल्यू.1 जनक सिंह ने अपने बयान में तहरीर को साबित किया है तथा जिरह में साक्षी ने वाहन मरम्मत के बिलों पर अपने व एच.सी.एम.टी. धूम सिंह के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचन के उपरान्त उक्त साक्षी व तत्कालीन सी.ओ. शील कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया था तथा पी.डब्ल्यू.1 का साक्ष्य व प्रतिपरीक्षा स्वतः अभियोजन कथानक को साबित करती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बचाव साक्षियों के साक्ष्य पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि अभियोजन साक्षीगण ने अभियोजन कथानक को साबित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने फर्जी प्रार्थनापत्रों के आधार पर सरकारी वाहनों की मरम्मत कराकर व झूठे बिल बनवाकर व भुगतान कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है। उपरोक्त आधारों पर अपील को स्वीकार करते हुये आक्षेपित निर्णय दिनांकित 25.02.2025 अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

12– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

13– अपीलार्थी (उत्तर प्रदेश राज्य) की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क रखे गये कि विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.20214 के द्वारा अभियुक्त जनम सिंह व शील कुमार को विचारण हेतु तलब किया गया था तथा आरोप विरचन के समय अभियुक्तगण के द्वारा आरोपों से इंकार करते हुये विचारण की मांग की गयी। पी.डब्ल्यू.3 कर्मवीर सिंह व पी.डब्ल्यू.4 रणवीर सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा मामले में वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। पी.डब्ल्यू.3 कर्मवीर सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसके द्वारा सम्बन्धित वाहन को सनी मोटर्स पर ठीक नहीं कराया गया है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.4 रणवीर सिंह ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि उसके द्वारा सम्बन्धित वाहन का मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। पी.डब्ल्यू.6 रामौतार ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट कहा है कि थाने पर गाड़ियां खराब होने पर चालक द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाता है तथा प्रतिसार निरीक्षक की संस्तुति पर सी.ओ. लाईन्स की अनुमति पर कार्य कराया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी पर विश्वास न करके बचाव पक्ष के साक्षियों को महत्व दिया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

14– प्रत्यर्थी/अभियुक्त जनक सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि अभियुक्त जनक सिंह को धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलब किया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य के अंतर्गत प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा सम्बन्धित सभी बिलों को प्रस्तुत कर नियमानुसार साबित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक साबित नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रत्यर्थी/अभियुक्त धूम सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक सभी साक्ष्य पर विचार करते हुये विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। प्रत्यर्थी धूम सिंह के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा गलत भुगतान की पूर्ण धनराशि का भी कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित न होने के कारण मामले में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया था। उपरोक्त आधारों पर अपील निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

15– वर्तमान मामले में यह विचार किया जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 25.02.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में विधिसम्मत है?

16– पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के उपरान्त मात्र प्रत्यर्थी/अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध आरोपपत्र धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न्यायालय में दिनांक 17.09.2008 को प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.09.2010 के द्वारा अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में पी.डब्ल्यू.1 डी.आर. लोकेश कुमार, पी.डब्ल्यू.2 आर.आई. जनक सिंह, पी.डब्ल्यू.3 कां0 कर्मवीर सिंह, पी.डब्ल्यू.4 रनवीर सिंह, पी.डब्ल्यू.5 उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू.6 सेवानिवृत्त एच.सी.एम.टी. राम औतार सिंह व पी.डब्ल्यू.7 एच.एम. जितेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 07.06.2013 को अभियुक्त धूम सिंह का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया तथा उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली दिनांक 12.09.2013 को वास्ते निर्णय नियत की गयी थी परन्तु तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मामले में निर्णय पारित न कर अभियोजन अधिकारी को समस्त अभिलेखों व तत्कालीन अधिकारीगण की सूची प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया।

17– तपश्चात अभियोजन की ओर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12क/1, 12क/2 तथा 13क पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.02.2014 के द्वारा अभियुक्त/हेड कांस्टेबिल धूम सिंह के साथ दो अन्य अभियुक्तगण जनक सिंह, तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक व शील कुमार, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, पुलिस लाईन को धारा 409, 420,467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए विचारण हेतु तलब किया गया।

18– विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशपत्र दिनांक 10.07.2019 के अनुसार प्रत्यर्थी जनक सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या–24738/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2019 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि तक प्रत्यर्थी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी।

तत्पश्चात न्यायालय के आदेश 16.03.2022 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्रा0लि0 बनाम सी.बी.आई. में पारित आदेश के अनुसार अभियुक्तगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट स्थगन आदेश पारित किये जाने के लिए नोटिस भेजा गया।

19– तत्पश्चात दिनांकित 09.09.2024 को प्रत्यर्थी/अभियुक्त जनम सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया तथा दिनांक 23.09.2024 को अभियुक्त शील कुमार (दौरान अपील मृत्यु) के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि **आदेश दिनांक 20.02.2014 के प्रकाश में प्रत्यर्थी/अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध धारा 420,467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए कोई अतिरिक्त आरोप विरचित नहीं किया गया।**

20– यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त के पश्चात मामले में अग्रिम तिथियां दिनांक 29.10.2024, 12.11.2024, 23.11.2024, 03.12.2024 व 13.12.2024 नियत की गयीं, जिस पर कोई साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात मामले में अग्रिम दिनांक 01.01.2025 के आदेशपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह अंकित किया गया कि अभियुक्तगण शील कुमार व

जनक सिंह की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने साक्षीगण से कोई जिरह न करना अंकित किया है। उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य पहले ही हो चुकी है। शेष अभियोजन साक्ष्य समाप्त की जाती है तथा पत्रावली धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान हेतु दिनांक 13.01.2025 नियत की गयी।

दिनांक 01.01.2025 के उक्त आदेशपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दिनांक पर कोई अभियोजन साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आया था तथा अभियोजन की ओर से अपना साक्ष्य समाप्त करने का कोई पृष्ठांकन भी आदेशपत्र पर नहीं किया गया था।

21– तत्पश्चात अभियुक्तगण धूम सिंह, शील कुमार व जनक सिंह के अतिरिक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 30.01.2025 को अंकित किये गये। इसके उपरान्त दिनांक 19.02.2025 को उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 25.02.2025 को मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किया गया, जिसके द्वारा अभियुक्तगण धूम सिंह, शील कुमार व जनक सिंह को धारा 409, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

22– इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **Sukhpal Singh Khaira Vs State of Punjab, 2022 SCC Online SC 1679** में धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विचारण हेतु तलब किये जाने के पश्चात सम्बन्धित विचारण न्यायालय के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार–

> ''(i)... (ii)...(iii)....(iv)...(v) **If the decision is for joint trial, the fresh trial shall be commenced only after securing the presence of the summoned accused.**
>
> (vi).....(vii).....(viii).....(ix).....(x).....(xi) **Even in such a case, at that stage, if the decision is to summon additional accused and hold a joint trial the trial shall be conducted afresh and de novo proceedings be held.** (xii).....''

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किये गये अतिरिक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के द्वारा अभियुक्तगण शील कुमार व जनक सिंह के विरूद्ध पूर्व से विचारित किये जा रहे अभियुक्त धूम सिंह के साथ संयुक्त रूप से सभी अभियुक्तगण का विचारण अग्रसरित किया गया।

23– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त दिशा–निर्देशों में यह निर्देशित किया गया है कि यदि विचारण न्यायालय अतिरिक्त रूप से तलब किये गये व्यक्तियों का संयुक्त विचारण करता है, तब ऐसा विचारण नये सिरे से किया जाना चाहिए।

यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि विद्वान विचारण न्यायालय को अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण के लिए तलब करने के पश्चात जब संयुक्त रूप से विचारण का निर्णय लिया गया था, तब सभी अभियुक्तगण का नये सिरे से विचारण करना आवश्यक था परन्तु विचारण न्यायालय के आदेशपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 09.09.2024 को आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन की ओर से कोई अभियोजन साक्षी साक्ष्य हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। **धारा 273 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के प्रावधान के आलोक में यह आवश्यक है कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अंकित किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के जिन साक्षीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में परीक्षित कराया गया था, उनके परीक्षण के समय धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त तलब किये गये अभियुक्तगण की उपस्थिति पत्रावली पर नहीं थी।

24– यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 01.01.2025 को किसी भी अभियोजन साक्षी के न्यायालय में उपस्थित न होने की स्थिति में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अंकित करना कि उनको किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की मंशा के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त के आधार पर अभियोजन साक्ष्य को समाप्त करने का विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश नये सिरे से विचारण किये जाने के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं कहा जा सकता।

25– यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2024 को अभियुक्त जनक सिंह के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया था परन्तु पूर्व से विचारित अभियुक्त धूम सिंह के विरूद्ध आदेश दिनांक 20.02.2014 के अनुक्रम में, अभियुक्त धूम सिंह को जिन अतिरिक्त धाराओं के अपराध के विचारण के लिए आहूत किया गया था, उन अपराधों के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित नहीं किये गये।

26– उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 25.02.2025 विधिसम्मत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का विधि अनुरूप अनुपालन न होने की स्थिति में वर्तमान प्रकरण को विद्वान विचारण न्यायलय के समक्ष विधि अनुसार नये सिरे से विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार अपीलार्थी (उत्तर प्रदेश राज्य) की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांकित 25.02.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या–53/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम धूम सिंह व अन्य **उपरोक्तानुसार निस्तारित** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा फौजदारी वाद संख्या–377/2014 अपराध संख्या–1348/2008 सरकार बनाम धूम सिंह आदि, अंतर्गत धारा 409, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा में पारित निर्णयादेश दिनांकित 25.02.2025 **अपास्त** किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण का नये सिरे से विचारण कर पक्षकारों को बिना अनावश्यक स्थगन दिये विधिसम्मत निस्तारण यथाशीघ्र किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित की जाये।

प्रत्यर्थीगण मामले में जमानत पर हैं, अतः प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.07.2026 को उपस्थित हों।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक–04.07.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–04.07.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक